आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
12-02-2024	**वाद सं0–02 / 2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्रीमती सरोज देवी एवं अन्य, ग्राम–बिजका, पं0–बिजका, प्रखण्ड–भण्डरिया, जिला गढ़वा वीडियो कॉल के. माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा आयोग कार्यालय में उपस्थित। पिछली सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि सुनवाई में अनुपस्थित थे। आयोग ने इस संदर्भ में कारण पृच्छा पेश करने का निदेश दिया था। पत्रांक–210 दिनांक–10.02.2024 के माध्यम से आयोग को प्रस्तुत किये गये पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि उन्हें पिछली सुनवाई की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, जबकी आयोग के अभिलेख में इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी को मेल के माध्यम से सूचना प्रेषित कर दी गई थी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि आज की सुनवाई की सूचना भी उन्हें मेल के माध्यम से ही प्राप्त हुई। ऐसे में आयोग प्रोग्रामर श्री अनिल कुमार साहु को इस आशय का निर्देश देता है कि वो तकनीकि पक्ष जांच कर एक रिपोर्ट आयोग को पेश करें कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी को पिछली सुनवाई दिनांक–30.01.2024 की सुनवाई की सूचना प्रेषित की गई थी अथवा नहीं। यदि तकनीकि साक्ष्य से ये प्रमाणित हो गया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी को मेल प्रेषित किया गया था तो उनके विरूद्ध आयोग को गलत सूचना देने और लाभुकों की हकमारी में शामिल होने के कारण वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकती है। इस बीच सुनवाई में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में मौजूद शिकायतकर्ता श्रीमती सरोज देवी का कहना है कि आयोग को 30.12.2023 को शिकायत प्रेषित किये जाने के बावजूद अबतक उनका और आवेदन में शामिल अन्य 51 लोगों को राशन नहीं मिला है। गौरतलब है कि इस आशय की खबर अखबारों में प्रकाशित हो चुकी है। इस भयावह स्थिति के बावजूद जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा ने आयोग को जो प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है उसमें लाभुकों को अनाज उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण पेश नहीं किया गया है, बल्कि आयोग को और लाभुकों को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश देता है कि वो 7 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता एवं उनके साथ 51 अन्य लाभुक को अनके मूल शिकायत के आलोक में हर तरह का लाभ उपलब्ध करा दिया जाने का प्रमाण पेश करें साथ ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी लिखित प्रतिवेदन के माध्यम से ये बतायें कि शिकायतकर्ता द्वारा 30.12.2023 को मूल आवेदन दिये जाने के बावजूद लगभग तीन महिने तक शिकायतकर्ता के समस्या का निदान नहीं करने के कारण उनके विरूद्ध विभाग को विभागीय कार्रवाई के लिए क्यों न लिखी जाय? जिला आपूर्ति पदाधिकारी का स्पष्टीकरण यदि नहीं आया या संतोषजनक नहीं रहा तो आयोग एकपक्षीय कार्रवाई करने को बाध्य होगा। D:\Premlata\Court 1.docx1	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभिव्यक्ति

जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को गुलाब स्वयं सहायता समूह को प्रेषित पत्र ज्ञापांक–206 दिनांक–09.02.2024 आयोग के अभिलेख में उपलब्ध कराया, जिसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि शिकायतकर्ता की शिक़ायतें सही पाईं गईं है और गुलाब स्वयं सहायता समूह को इस आशय का स्पष्टीकरण समर्पित करने को लिखा गया है कि उनके विरूद्ध सुसंगत प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में दुकान की अनुज्ञप्ति निलंबित क्यों न की जाय। आयोग ऐसे पत्र को कार्रवाई नहीं मान सकता। आयोग की चिंता इस बात को लेकर है कि लाभुकों को अनाज या उनका हक न मिलना एक गंभीर विषय है और जिला प्रशासन हर हाल में ये सुनिश्चित करें कि लाभुकों को उनका हक मिले। प्रशासनिक कार्रवाई और कागजी खानापूर्ति कर देने से लाभुकों का पेट नहीं भर सकता। आयोग आदेश की प्रति उपायुक्त, गढ़वा को भी भेजने का निदेश देते हुए उपायुक्त, गढ़वा को ये निदेश देता है कि वो सुनिश्चित करें कि जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ सभी लाभुकों को मिले। कागजी खानापूर्ति कर आयोग और लाभुक को भ्रमित करने का प्रयास न किया जाय।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–28.02.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा उपायुक्त, गढ़वा एवं शिकायतकर्ता को भेजें। दिनांक–28.02.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।